यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

या-86/2024
ति दिनांक-18.06.2024
नांक-18.12.2024

दी पुत्र धूल्या जाट जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तहसील पीपलू जिला टोंक

बनाम

दारनारायण पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम हाडीकलां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
टवारी हल्का हाडीकलां, तह0 पीपलू जिला टोंक
रदावर हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक
हसीलदार पीपलू

धिवक्ता वादी/अप्रार्थी-श्री विवेक चौधरी एड0
धिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 01-श्री राजाराम चौधरी एड0

ना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

अधिवक्ता वादी ने एक वाद बाबत् पुनः स्थापित किये जाने कब्जा अन्तर्गत धारा 187 राज0टि0एक्ट 1955 र निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 1541 रकबा 0.4299 हैक्ट., ख0न0 1542 रकबा 1.4921 हैक्ट. वाके ीकलां, पटवार हल्का हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। वादी की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी काश्त की आराजीयात के समीप ही प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 664 रकबा हैक्ट. वाके ग्राम हाडीकलां की भूमि स्थित है। वादी और प्रतिवादी की कृषि आराजीयात के बीच में कदीम से हुई थी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी कृषि आराजीयात ख0न0 664 को लेकर पहले सीमाज्ञान बाद में पत्थरगढ़ी करायी गई और राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा बिना वादी की उपस्थिती में क व कागजी कार्यवाही करते हुए वादी के खेतो में अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी की 40 फिट भूमि होना बताते गढ़वा दिये। जबकि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में कही पर भी यह अंकित नही किया गया है की प्रतिवादी की भूमि सीमाओ के अंदर आती है। राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा की गई नाप चोप की वजह से प्रतिवादी की खातेदारी के खेत की सीमाओ में प्रवेश करते हुए 40 फिट भूमि के भीतर अनाधिकृत रूप से बेदखल ाकर प्रतिवादी ने वादी की भूमि में खम्भे गाढ दिये गये और उस पर बिना वादी की सहमति के तथा बिना

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner